न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 43/2020
RCMS No. : 2020/00075

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		रवि पुत्र श्री किशनचन्दजी जाति सिन्धी (मालिक) हाल निवासी : 7 बी, सुरज कॉलोनी, बलाड रोड, ब्यावर, वाहन संख्या– आर.जे.–36 जी.ए. 3287 (बर,पाली)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–
श्री दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
अप्रार्थी

–: निर्णय :–

दिनांक : 25.06.2020

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में पदस्थापित है। दिनांक 11.11.2019 को दौराने गश्त 03.00 पी.एम. को अप्रार्थी के वाहन संख्या आर.जे. 36 जी.ए. 3287 पर गये, अप्रार्थी अपने वाहन के साथ बर जिला पाली पर उपस्थित मिला। जिसने अवगत कराया कि वह वाहन मालिक है तथा वाहन में रखा सामान उसी का है तथा वास्ते बेचाण हेतु रखा हुआ है। मौके पर आचार मसाला (ब्राण्ड शिव सागर) के लगभग 45 पैक पैकेट प्रत्येक 200 ग्राम के रखे थे, जिसको वह आमजन को खाद्य सामग्री बिक्री हेतु होना बताया, जिसमें मिलावट का शक हुआ। इसलिए रूबरू गवाहान प्रपत्र 5 ए भरकर दिया व प्रपत्र 5 ए की दूसरी प्रति पर रसीद प्राप्त कर गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाए। बिक्री हेतु रखे आचार मसाला (ब्राण्ड शिव सागर) के आठ पैक वास्ते जॉच हेतु क्रय किया तथा इसका मूल्य 400 रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की तथा उक्त क्रयसुदा आचार मसाला (ब्राण्ड शिव सागर) को चार भागों में विभक्त कर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–1020 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया आचार मसाला (ब्राण्ड शिव सागर) को Sub-standard &

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

Mis Branded पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub-standard & Mis Branded आचार मसाला (ब्राण्ड शिव सागर) का विनिर्माण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्राथी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी ने लिखित जवाब में उल्लेखित तथ्यों का कथन करते हुए निवदेन किया कि वह एक छोटा व्यापारी है तथा दिनांक 11.11.2019 को उससे आचार मसाला (ब्राण्ड शिव सागर) का सेम्पल लिया गया, उसमें कुछ छपाई में फर्क आया तथा दिनांक का अंकन नहीं था, जिसकी उसको जानकारी नहीं थी। वह भविष्य में इस तरह की गलती नहीं करेगा। अतः कम से कम जुर्माना अधिरोपित करावें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि मौका फर्द के अनुसार प्राथी द्वारा दिनांक 11.11.2019 को अप्रार्थी के वाहन संख्या आर.जे. 36 जी.ए. 3287 में बेचाण हेतु रखे हुए आचार मसाला (ब्राण्ड शिव सागर) क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–1020 अंकित कर सीलबन्द किया गया, जो सैम्पल लिया गया है, उक्त सैम्पल को खाद्य विश्लेषक को वास्ते जांच भिजवाया गया है। इस सम्बन्ध में जो दस्तावेजात् यथा मौका फर्द आदि पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है, जिसको न मानने का कोई यथोचित कारण नहीं है, इसके साथ ही फॉर्म संख्या "5 ए" में अप्रार्थी के द्वारा उक्त माल का बिल बाद में पेश करने का अंकन है, लेकिन अप्रार्थी ने न तो न्यायालय में बिल पेश किया है एवं न ही बिल पत्रावली पर उपलब्ध है। जबकि उक्त माल का बिल अप्रार्थी को आवश्यक रूप से पेश करना चाहिए था। अप्रार्थी ने अपने जवाब में भी जुर्म स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि उसे छपाई में फर्क तथा दिनांक के अंकन नहीं होने की जानकारी नहीं थी तथा वह भविष्य में इस तरह की गलती नहीं करेगा। अप्रार्थी के पास से विक्रय किए जा रहे आचार मसाला (ब्राण्ड शिव सागर) की जांच संबंधी रिपोर्ट, खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर के क्रमांक/एल.एस./977/एसीटी/2019/1015 दिनांक 25.11.2019 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–1020 को Sub-standard and Mis Branded under section 3(1)(zf)(C)(i) माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है। उपरोक्त समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियमन 2011 के बिन्दु संख्या 2.2.2 (3) (ii) के साथ साथ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) का भी उल्लंघन किया है, जो धारा 51 व 52 के तहत शास्ति योग्य हैं।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Sub-standard-Mis Branded खाद्य आचार मसाला (ब्राण्ड शिव सागर) का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत अप्रार्थी पर 2,75,000/– अक्षरे दो लाख पच्चतर हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 25.06.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Virendra Singh Choudhary
Date: 2020.06.26 17:23:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: